

मूल्यांकन वर्ष के लिए फॉर्म 10ख /10खख और फॉर्म आईटीआर-7 दाखिल करने की समयसीमा में विस्तार

परिपत्र संख्या 16/2023 [एफ.सं. 225/177/2023/आईटीए-II], दिनांक 18-9-2023

करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अनुपालन के संबंध में छूट प्रदान करता है:—

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23सी) के दसवें परंतुक के खंड (बी) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (ii) के अंतर्गत किसी फंड या ट्रस्ट या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मामले में पिछले वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म आईओबी/फॉर्म 10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो 30 सितंबर, 2023 है, को एतद्वारा 31 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया जाता है।
2. अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो 31 अक्टूबर, 2023 है, को एतद्वारा 30 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया जाता है। नवंबर, 2023.

रविन्द्र मैनी
भारत सरकार के निदेशक